बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

–:आदेश:–

सं0सं0–13/स्था0–01–03/2026

विभागीय आदेश सं०–13/स्था०–01–03/2026–5933 दिनांक 09.10.2026 द्वारा कार्यहित में पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज के अंतर्गत कार्यों की महत्ता एवं कार्यस्थल की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय कार्यहित में पूर्व निर्गत आदेश सं०–13/स्था०–01–03/2026–5760, दिनांक 01.10.2026 के क्रम संख्या–02 एवं 03 को यथावत् बनाए रखने का निर्णय लिया जाता है।

3. तदनुसार, उक्त पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

M.Q.A.S 13/10/26
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–13/स्था0–01–03/2026– 5979 पटना, दिनांक– 13.10.26

प्रतिलिपि :–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–जल संसाधन विभाग मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार /संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार /संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, 9, 12, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी, बायोडाटा कोषांग/एम0आई0एस0 सेल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M.Q.A.S 13/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–13/स्था0–01–03/2026– 5979 पटना, दिनांक– 13.10.26

प्रतिलिपि :–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र,पटना को विभागीय वेबसाइट/Common Integrated Website (www.state.bihar.gov.in) पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

M.Q.A.S 13/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)